न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/373
दायरा तिथि : 07.10.2024
आदेश तिथि : 25-11-2024
प्रार्थी :–

श्री हिम्मतराम पुत्र रामलाल जाति कुम्हार, निवासी बीजापुर, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार ज़रिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 25-11-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 363 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा नंबर 364 रकबा 0.1700 हैक्टर व खसरा नंबर 366 रकबा 0.8000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 567 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नंबर 581 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 582 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा नंबर 583 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 367 रकबा 0.6400 हैक्टर व खसरा नंबर 368 रकबा 0.0500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2392 दिनांक 28.10.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

1. यह है कि आवेदक (खतेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। खातेदार उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान से ही आना जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।
3. यह है कि ग्राम जीवदा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	567	0.1600 हैक्टर	बा.दो.	68X6=408 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	581	0.3900 हैक्टर	बा.दो.	40X6=240 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	582	0.6600 हैक्टर	बा.दो.	130X6=780 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
4	369	0.3100 हैक्टर	बा.दो.	10X9=90 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
5	367	0.6400 हैक्टर	बा.दो.	70X9=630 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।
5. यह कि भू.अ. निरीक्षक बिसलपुर की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 96,597 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।

पेज लगातार................02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/373

अनवान हिम्मतराम बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 363 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा नंबर 364 रकबा 0.1700 हैक्टर व खसरा नंबर 366 रकबा 0.8000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2392 दिनांक 28.10.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 363 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा नंबर 364 रकबा 0.1700 हैक्टर व खसरा नंबर 366 रकबा 0.8000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 567 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नंबर 581 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 582 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा नंबर 369 रकबा 0.3100 हैक्टर व खसरा नंबर 367 रकबा 0.6400 हैक्टर में से **408+240+780+90+630=2148 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 96,597/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
567	0.1600 हैक्टर	68X6=408 वर्गमीटर	10	**4080X2=8160**	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
581	0.3900 हैक्टर	40X6=240 वर्गमीटर	10	2400**X2=4800**	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
582	0.6600 हैक्टर	130X6=780 वर्गमीटर	10	7800**X2=15600**	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
369	0.3100 हैक्टर	10X9=90 वर्गमीटर	10	900**X2=1800**	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
367	0.6400 हैक्टर	70X9=630 वर्गमीटर	10	6300**X2=12600**	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 42,960/- (अक्षरे तीस हजार सात सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(विमलेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली,जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/373

अनवान हिम्मतराम बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक : 27-11-24

क्रमॉक/कोर्ट/2024/ 2366-2370

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री हिम्मतराम पुत्र रामलाल जाति कुम्हार, निवासी बीजापुर, तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 09/10/2024 11:06:32 PM

जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बिसलपुर

पटवारी हल्का : सेणा

ग्राम : जीवदा(बाहरीक्षेत्र)

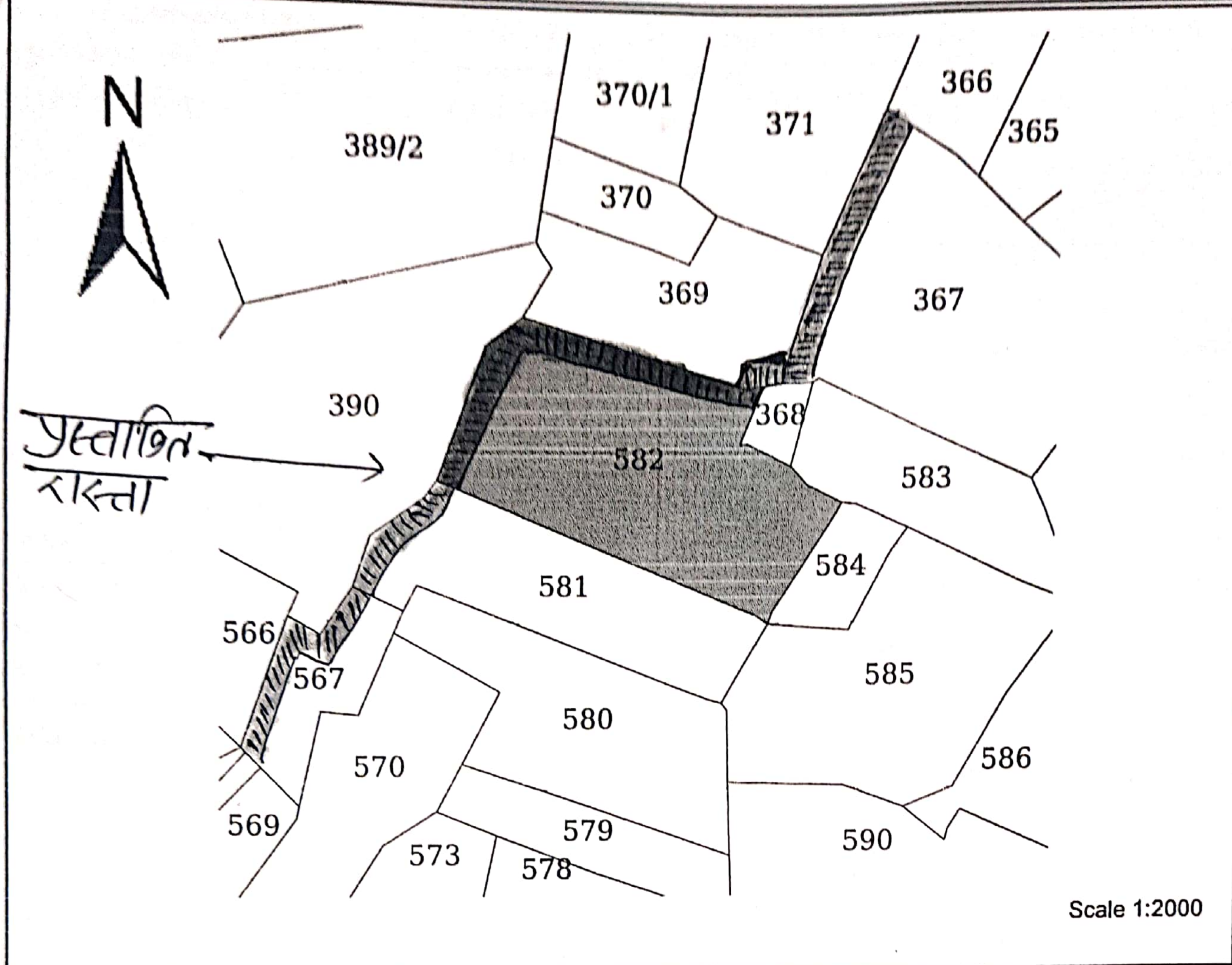

खसरा संख्या :582 क्षेत्रफल : 0.6600 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी सोयम [0.6600]

राज. सरकार

ILR बिसलपुर

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Ex-Court

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तहसीलदार, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली

Scanned with CamScanner